भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3540

(जिसका उत्तर मंगलवार, 27 मार्च, 2018 को दिया गया)

शिकायत के आधार पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई

3540. श्री नारायण दास गुप्ताः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान कतिपय प्रारंभिक सीमा के भीतर सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की लेखा-परीक्षा के संबंध में किसी सदस्य अथवा प्रतिष्ठान की शिकायत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई॰सी॰ए॰आई॰) में कराए जाने पर कार्रवाई आरंभ कर सकता है, जबकि राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण (एन॰एफ॰आर॰ए॰) ने उसके विरुद्ध कोई भी जांच आरंभ नहीं की हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा (4) के खंड (क) और (ग) और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) को कारपोरेट निकायों या वैयक्तिकों की ऐसी श्रेणी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी चार्टर्ड अकाउंट सदस्य या फर्म द्वारा किए गए व्यवसायिक या अन्य कदाचार संबंधी मामलों में स्वतः या केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे जाने पर ऐसी रीति से जांच करने का अधिकार है जैसी कि विहित की जाए। इस धारा में यह भी उल्लिखित है कि कदाचार के ऐसे मामलों, जिसमें एनएफआरए ने इस धारा के अधीन जांच शुरू की है, में कोई अन्य संस्थान या निकाय किसी प्रकार की कार्रवाई की न तो पहल करेगा और न ही जारी रखेगा। अधिनियम की धारा 132 में एनएफआरए और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की भूमिका और अधिकारों में सामंजस्य और समन्वय बनाए रखने के लिए उचित स्पष्टता और लचीलापन दिया गया है।

*****